भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 939
दिनांक 08 फरवरी, 2024

पेट्रोल और डीजल की एक समान कीमतें

†939. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी न करने के लिए कुछ राज्य जिम्मेदार थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि पेट्रोल और डीजल विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अलग-अलग कीमतों पर बेचे जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक समान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीजल के अंतिम बिक्री मूल्यों में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित राज्य वैट/कर शामिल हैं। पूरे देश में राज्यों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य भाड़ा दरों, वैट/स्थानीय उगाहियों आदि के कारण अगल-अलग होते हैं।

केन्द्र सरकार ने नवंबर, 2021 तथा मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी करके एक समान रूप से पूरे देश में मूल्यों में कमी की है।

जहां अधिकांश राज्य सरकारों ने नागरिकों को और अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वैट दर कम कर दी है वहीं कुछ राज्य सरकारों ने वैट दरें कम नहीं की हैं।

जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को हुई अपनी 45वीं बैठक में पेट्रोल/डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के दायरे में शामिल करने पर विचार किया था किंतु राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ने के कारण इस संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किए जाने तक परिषद द्वारा इस मामले को आस्थगित कर दिया गया था। परिषद द्वारा उक्त बैठक के बाद आगे के विचार-विमर्श के लिए इस मुद्दे को कार्यसूची की मद के रूप में नहीं रखा गया है।

***